


राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: प्रशि./जी-88 (पार्ट-1)/2016-17/2017/ 270

दिनांक : 28/3/17

आदेश

जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइरी प्रशिक्षण सत्र 2016-17 में प्रवेश प्रक्रिया तुरन्त प्रभाव से बन्द की जाती है।



(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक: प्रशि./जी-88 (पार्ट-1)/2016-17/2017/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को निदेशालय की एकल पत्रावली पर राज्य सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आई.डी.क्रमांक : 302 दिनांक : 23.07.2016 पर अनुमोदन के संदर्भ में।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
5. अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय संघ, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर, भरतपुर, सीकर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, पाली, जालौर, बाड़मेर, बासवाड़ा।
7. अध्यक्ष/सचिव, प्राइवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फ़ैडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविट्री सिनेमा के पास, जयपुर/ अध्यक्ष/सचिव, प्राइवेट निजी नर्सिंग स्कूल्स फ़ैडरेशन, ई-277, लालकोठी स्कीम, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक : 154 दिनांक : 02.02.2017 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आपके स्तर से निजी नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेशित अभ्यर्थियों की राजकीय/फ़ैडरेशन कोटे की सूचियां निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों से प्राप्त कर आपके स्तर से इस निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. प्रधानाचार्य समस्त निजी नर्सिंग स्कूल्स, राजस्थान।
9. प्रभारी सर्वर कक्ष को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर